inquiry and found that there is a nexus between doctors and some agents and politicians. They are working in collusion with kidney transplantation mafia. A litigation to this effect is also going on in a court. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Ministry of Health and Family Welfare is aware of these facts. If so, what action has been taken against them?

SHRI SHATRUGHAN SINHA: I appreciate his concern, but the fact remains that firstly, this particular supplementary is not related to this question, and secondly, it is a State subject and it is not proper for me to respond to it...*(Interruptions)*

MISS MABEL REBELLO: This is going on. How long will it go on?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: How could it be a State subject? It is being governed by an Act passed by the Parliament; and the Act passed by the Parliament cannot be unanswered as it is a State subject.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: मैं महोदया का गुस्सा समझ सकता हूं। वहां से नाराज होकर कुछ बोल रही हैं। लेकिन मैं उनकी नाराजगी जरूर दूर करूंगा। इस वक्त यही कह सकता हूं कि यह सप्लीमेंट्री जो किया गया है इस पर्टिक्युलर सवाल से नहीं जुड़ा हुआ है।

श्री सभापति: आप यह भी बता दीजिए कि यह नाराजगी कब दूर करेंगे।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: उनकी नाराजगी मैं जल्द दूर करूंगा ... (**व्यवधान**)

कुमारी मैबल रिबैलो: .... (व्यवधान) हम लिखकर देंगे। (व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: यह तो आपसे ही सीखा है हमने।

Welfare Fund for journalists

*86. SHRI RAJEEV SHUKLA:
DR. ABRAR AHMED:†

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether a Journalists' Welfare Fund for providing *ex-gratia* relief to the journalists exists;

(b) if so, the total amount in this fund, as on date; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Abrar Ahmed.

(c) the number of journalists/families of journalists benefited, so far?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) Yes, Sir.

(b) As on date, the balance amount in the Journalists' Welfare Fund is Rs. 4.93 crores (principal).

(c) So far, seven journalists/families of journalists have been given *ex-gratia* relief of Rs. one lakh each from the Journalists' Welfare Fund.

डा॰ अबरार अहमद: सभापति महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के फंड का निर्माण किया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस फंड के सोर्स क्या-क्या हैं? इसमें जो पैसा आएगा वह सिर्फ सरकार के माध्यम से ही आएगा या किसी अन्य माध्यम से भी आएगा? जो बैलेंस माननीय मंत्री जी ने इसमें बताया है 4.93 करोड़ का और अब तक सिर्फ सात पत्रकारों को एक-एक लाख रुपए दिया गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पत्रकारों को राहत में अनुग्रह राशि देने का मापदण्ड क्या है? जब इतना बैलेंस है और यदि कोई मापदण्ड बहुत कड़े हैं तो क्या वे इनको लचीला करके इसका लाभ अधिक से अधिक पत्रकारों के परिवारों को मिले, इस दिशा में विचार करेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): सभापति महोदय, सरकार के द्वारा पांच करोड़ इसमें जमा किया गया है। पांच करोड़ की सहायता से इस कोष की स्थापना की गयी है। इसका जो ब्याज आएगा वह करीब 45 लाख रुपए होता है। एक साल में 45 पत्रकारों को यदि उनकी दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाए तो सहायता देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सरकार इससे भी आगे बढ़कर एक कदम उठा रही है कि पत्रकारों के ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में भी चर्चा हो रही है। उसके बारे में बात करके जो भी सरकार के द्वारा उनको लाभ दिया जा सकता है ऐसा प्रयास करने का एक प्रस्ताव है।

श्री प्रेम गुप्ता: आप सोचते हैं कि 45 पत्रकार ही मरेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, जो प्रश्न माननीय सांसद् ने पूछा कि इस कोष में सरकार के अलावा भी किसी और जगह से पैसा आने का प्रावधान है तो मैं माननीय सांसद् को बताना चाहूंगी कि 5 करोड़ का कॉरपस सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन इसमें डोनेशंज़ लेने का भी प्रावधान है और अगर कोई अलग जगह से डोनेशन आती है तो वह पैसा भी इसमें आ सकता है। इस पैसे को पब्लिक एकाउंट् ऑफ इंडिया में रखा गया है जिसका एक सेगमेंट होता है एक सैक्शन, रिज़र्व फंड बेयरिंग इन्टरेस्ट। इसलिए जो इसमें 45 लाख रुपये का इन्टरेस्ट आएगा केवल वही नहीं हम दे रहे हैं सर्विंग इन्टरेस्ट से। हम निश्चित तौर

पर पत्रकारों की दीर्घायु की कामना करते हैं कि कम से कम ऐसी दुर्घटनाएं हों जिसमें यह पैसा देना पड़े। लेकिन पैसा देने के लिए बजट अपने आप में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि यह निरंतर चलने वाला फंड है। इसलिए महज केवल 45 पत्रकारों को ही दिया जाए ऐसा नहीं है। यह बजट अपने आप में कंस्ट्रेंट नहीं होगा। अगर किसी दुर्घटना में ज्यादा पैसा भी देने की आवश्यकता होती है तो निरंतर फंड के माध्यम से यह पैसा दिया जा सकता है।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि पत्रकारों के कल्याण के लिए, उनके संरक्षण के लिए और उनके कामकाज में जो जोखिम है, उनके जीवन में जो खतरे हैं, उन खतरों के बाद अगर कोई हादसा होता है और उनकी मौत होती है तो ऐसी स्थिति में उनको यह मदद करने का एक कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर यह सराहनीय कार्यक्रम है। मैं जानना चाहूंगा कि यह 7 जर्नलिस्ट कौन से हैं? दूसरी बात, आपने बताया कि डोनेशंज़ ले सकते हैं, यह क्या इस कॉर्पस में जो अलग-अलग अखबारों के मालिक हैं, बड़े-बड़े प्रकाशन समूह हैं, क्या उन प्रकाशन समूहों से भी अपील की जा सकती है कि इस कॉर्पस में वे अपनी तरफ से भी फंड दें क्योंकि जितने भी पत्रकार हैं वे सारे के सारे किसी न किसी अखबार के लिए नौकरी करते हैं, अखबार के मालिक के लिए नौकरी करते हैं।

श्री रमेश बैस: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिन सात पत्रकारों को सहायता दी गई है उनके नाम पूछे हैं, तो उनके नाम हैं लेट श्री योगेश माथुर, कोरेसपोंडेंट, पी०टी०आई०, लेट श्री रंजन झा, कोरेसपोंडेंट, टीवी टुडे आज तक, लेट श्री गोपाल सिंह बिष्ट, कोरेसपोंडेंट टीवी टुडे आज तक, लेट श्री संजय मिन्हा, कोरेसपोंडेंट, इंडियन एक्सप्रेस, लेट मिस अंजु शर्मा, कोरेसपोंडेंट, हिन्दुस्तान टाइम्स, श्री विक्रम सिंह बिष्ट, कोरेसपोंडेंट, ए०एन०आई० ये परमानैंटली डिसएब्लड हो गए हैं, लेट श्री राजेन्द्र शर्मा, प्रिंसीपल कोरेसपोंडेंट, द ट्रिब्यून, चंडीगढ़। इन सात लोगों को सहायता दी गई है। जहां तक प्रकाशन समूहों का सवाल है तो हमने तो अपील की है कि जो इन्हें सहायता दे सकते हैं या जितनी सहायता दे सकते हैं वह सहायता दें।

डा० अलादी पी० राजकुमार: चेयरमैन सर, रीसेंटली इंडियन एक्सप्रेस की शिवानी की भी हत्या हो गई है इसलिए उनके परिवार को भी कुछ आर्थिक सहायता दी गई है या नहीं, क्या यह भी बतायेंगे?

श्री रमेश बैस: सभापति महोदय, शिवानी की घटना के बाद इस कोष की स्थापना की गई है।

श्री सभापति: श्री स्वराज कौशल, आप सावधानी से प्रश्न पूछेंगे, वह सावधानी से उत्तर देंगी।

श्री स्वराज कौशल: आदरणीय सभापति महोदय, यह इतना बड़ा कॉज़, इतने बड़े मंत्री, मेरा मतलब दोनों मंत्री और इतना बड़ा साढ़े चार करोड़ रुपये का फंड और उस पर 45 लाख रुपये का इन्टरेस्ट आ रहा है और जो दिया जा रहा है जस्ट वन लैक रुपीज़, जस्ट पी नट, तो इस एमाउंट को बढ़ाने के लिए क्या मंत्री महोदय या मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुछ कार्यवाही करेंगे।

12.00 NOON

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को बताना चाहूंगी कि यह जो कोष स्थापित किया गया है यह तुरंत राहत देने के लिए है। ... (**व्यवधान**) सभापति जी अगर घर में सवाल पूछा जाता है तो आपकी जरूरत नहीं थी लेकिन सदन का एक नियम है कि यहां जिस भी सांसद् से बात की जाए वह आपके माध्यम से की जाए, इसलिए आपके माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि इस कोष की स्थापना ... (**व्यवधान**)

श्री सभापति: यह बात आप हमेशा के लिए ध्यान रखना।

श्रीमती सुषमा स्वराज: घर में तो ध्यान नहीं रखूंगी, संसद के फर्श पर जरूर ध्यान रखूंगी। मैं बताना चाहूंगी कि यह जो कोष की स्थापना की गई है यह तुरंत राहत देने के लिए की गई है और तुरंत राहत के लिए एक लाख रुपये की राशि कम नहीं है। तुरंत राहत का मतलब होता है कि आज अगर डैथ हुई तो उसके बाद महीने की जब पहली तारीख आती है तो उस तारीख को उस पत्रकार की पत्नी या मां के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है। उसको अपने बच्चों की फीस भी देनी होती है। उसे मकान का किराया भी देना होता है, उसे राशन भी लाना होता है, और उसे पता नहीं होता है कि वह कैसे संभले। इसलिए तुरंत, बार-बार हम इसमें "तुरंत" शब्द की बात कर रहे हैं क्योंकि इधर घटना घटती है, उस के 4,5,6 दिन के अंदर कोशिश करते हैं कि यह चैक उस के पास पहुंच जाए ताकि वह अपने आप को संभाल सके। सभापति महोदय, यह अपने आप में ऐसा कोष नहीं है जिस के कारण आप एक्स-ग्रेसिया रिलीफ नहीं दे सकते या बाकी और कोई धनराशि उसे नहीं दे सकते। यह तो जिस संवेदना का जिक्र सांसद महोदय कर रहे हैं, उसी संवेदना को सामने रखते हुए बहुत ही उदार और लचीला प्रावधान करते हुए तुरंत राहत देने की बात है और मुझे लगता है कि जिन को यह राहत मिली है, उन्होंने इसी चीज को पहचाना भी है कि पहली बार एक संवेदनशील कोष की स्थापना की गयी है जो इतनी उदारता से दिया जा रहा है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.